


12.5.2016


राजस्थान लोक अदालत न्याय  
आपके द्वारा के उक्त पक्षों का  
नोटिस जारी होने के बाद

12/5/16  
उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली आज राजस्थान लोक अदालत  
अटल सेवा केंद्र कोप पर पेश  
हुयी। प्रामिवादी नं 1 व 3 उपस्थित।

लि शंकर  


पक्षी स्वयं उपस्थित। प्रामिवादी नं 3  
ने मयानीप न्यायालय जिला कैलक्टर के  
अदेश दि 10-7-85 व मयानीप न्यायालय  
उप खण्ड अधिकारी के अदेश दि 27-10-99  
की धारा चर्चा प्रस्तुत की। जिसके अनुषंग  
व्यती को लिखित जमाना आवंटन निरस्त है  
युक्त है। वकील के उक्त निर्णय से प्रतीत  
न कर भद्र दया इत न्यायालय में  
गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है।  
अतः बाद वाली इसी स्टेज पर खारिज  
किया जाता है। पत्रावली जैनलक्ष्मणर शेकर  
नम्बर के क्रम है तथा दफ्तर काबिल है।

  
उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा